N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0009 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/01/2025 18:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 16/01/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:35 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/01/2025 **Time (समय):** 17:50 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/01/2025 18:53:39 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** MALKAN TENT HOUSE, PRATAP ROAD KHANDELA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ALIMUDDIN KURESHI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SALIMUDDIN KURESHI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 9, KHANDELA, KHANDELA, KHANDELA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 9, KHANDELA, KHANDELA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MOHAMMAD YAKUB MALKAN		पिता:KHAJU KHAN	1. WARD NO 23,KHANDELA,KHANDELA,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि पचास हजार रूपये	50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 50,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 13.01.2025 को परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी ने एसीबी चौकी कार्यालय, सीकर में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय पटटा नं 08 दिनांक 07.01.2025 की फोटोप्रति व स्ंवय के आधारकार्ड की फोटोप्रति मन पुलिस निरीक्षक को इस आशय का पेश किया "सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सीकर, विषय- मेरे से रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै अलीमुदीन कुरेशी पुत्र श्री सलीमुदीन कुरेशी निवासी वार्ड नं. 09, खण्डेला जिला सीकर का निवासी हॅु। हिदायत नगर दायरा खण्डेला में एक आवासीय भूखण्ड मैने मेरे बच्चों मोमिन कुरेशी, तौफिक कुरेशी और अल्फेज के नाम से तीन दूकानों व कमरे बने हुये को खरीदा था। मैने नगरपालिका खण्डेला में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया था, जिस पर कार्यवाही कर नगरपालिका खण्डेला द्वारा क्रमांक नपाख/2024-25/08 दिनांक 07.01.2025 से पटटा विलेख आवासीय जारी कर दिया था। उसके बाद दिनांक 10.01.2025 को मुझे खण्डेला में ही नगरपालिका चैयरमैन श्री याकुब मलकान मिला और मुझसे पट्टे बनवाने के खर्चे-पानी के 70,000 रूपयों की मांग की। मैने उनसे कहा कि पट्टे बनवाने के लिये मैने 1,06,571 रूपये नगरपालिका में जमा करवा दिये और मुझे मेरा पट्टा भी मिल गया, तो याकुब मलकान ने मुझे कहा कि वो पैसे तो सरकारी खर्चे के जमा हुये है, और ये 70,000 रूपये मेरे व अनिल जी ईओ साहब के खर्चे-पानी के है, इनमें से मुझे कुछ पैसे अनिल झिंगोनियां ईओ को देने पडेंगे। महोदय मैं श्री याकुब मलकान चैयरमैन को रिश्वत के रूप मे हमारे पट्टे बनाने के 70,000 रूपये खर्चे पानी के नहीं देना चाहता हॅु। श्री याकुब मलकान चैयरमैन से मेरा रूपयों के उधार का लेनदेन नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि श्री याकुब मलकान चैयरमैन के खिलाफ मुझसे रिश्वत मांगने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी, अलीमुदीन कुरेशी पुत्र श्री सलीमुदीन कुरेशी निवासी वार्ड नं. 09, खण्डेला जिला सीकर मोबाईल [redacted]" परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी पुत्र श्री सलीमुदीन कुरेशी जाति मुसलमान उम्र 58 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 09, तहसील व पुलिस थाना खण्डेला जिला सीकर ने मजिद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र बाहर से टाईप करके लाना बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये प्रार्थना-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर स्वयं के होना बताया। परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी ने श्री याकुब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो व मजीद दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत लेन-देन का पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी ने बताया कि श्री याकुब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर ने मुझे आज ही बुलाया है। मैं उसके पास जाउंगा तो वो मेरे से मुझे पूर्व में जारी किये गये पटटे की एवज में रिश्वत राशि की मांग करेगा। जिस पर श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 को मेरे कक्ष में बुलाकर कानि. का परिवादी से परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजिटल वॅाईस रिकार्डर एंव नया मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी को डीवीआर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॅाप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 के साथ परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी को मुनासिब हिदायत दी जाकर खण्डेला के लिए रवाना किया गया। दिनांक 14.01.2025 को समय 1.00 पीएम पर श्री कैलाश चन्द कानि. 386 उपस्थित कार्यालय आया एंव डिवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं एंव परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी एसीबी कार्यालय से रवाना होकर कस्बा खण्डेला में समय करीब 06.00 पीएम पर पहॅुचे। जहॅा परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी ने बताया कि श्री याकुब मलकान, चैयरमैन इस समय अपनी दुकान पर ही मिलेंगें। जिस पर मैं और परिवादी रवाना होकर कस्बा खण्डेला में परिवादी के बतायेनुसुार चैयरमैन की दुकान के पास पहॅुचे। जहॅा पर मैंने डिवीआर मय मेमेारी कार्ड के चालु करके परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी ने डीवीआर मेरे से प्राप्त कर चैयरमैन की दुकान के अन्दर चला गया। मैं अपनी उपस्थिति छिपाते हुये दुकान के आस-पास ही मुकीम रहा। परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी के चैयरमैन की दुकान से बाहर आने के पश्चात मैंने परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि श्री याकुब मलकान, चैयरमैन ने मुझे पूर्व में जारी किये गये पटटे की एवज में 50,000 रूपये रिश्वत राषि देने की कही है जिस पर मैंने रूपये एक

दो दिन में देने की कही है। परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि अब रात्रि का समय होने एंव मेरे घर पर आवश्यक कार्य है अतः मैं आईन्दा आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को मुनासीब हिदायत कर खण्डेला कस्बे में ही रूखसत किया गया। रात्रि का समय हो जाने से मन् कानि. भी रात्रि विश्राम हेतु खण्डेला में ही रहा तथा आज खण्डेला से रवाना होकर आपके सामने उपस्थित हुआ हॅु। मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर को चालु कर सुना तो कानि. द्वारा बताये गये तथ्यो के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित आलमारी में रखा। आईन्दा परिवादी के आने पर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 16.01.2025 को परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित आया एंव मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 13.01.2025 को मैं एवं आपके कार्यालय के श्री कैलाश चन्द्र आपके कार्यालय से रवाना होकर कस्बा खण्डेला में पहॅुचे। शाम के समय चैयरमैन के अपनी दुकान पर ही उपस्थित रहने के कारण मैं और आपके कार्यालय के कैलाश चन्द्र रवाना होकर कस्बा खण्डेला में चैयरमैन की टेन्ट हाउस की दुकान के पास पहॅुचे। जहॅा पर श्री कैलाश चन्द्र ने डिवीआर को चालु करके मेरे को सुपुर्द कर दिया था जिसे मैंने श्री कैलाश चन्द्र से प्राप्त कर चैयरमैन की टैन्ट हाउस की दुकान के अन्दर चला गया। जहॅा पर श्री याकुब मलकान, चैयरमैन से मिला तो चैयरमैन ने मेरे से मुझे पूर्व में जारी किये गये पटटे की एवज में 50,000 रूपये रिश्वत के मांगे, जिस पर मैंने चैयरमैन को एक दो दिन में रूपये देने की कही थी। बातचीत के दौरान चैयरमैन याकुब मलकान ने मेरा पट्टा जारी करने वाले पूर्व ईओ श्री अनिल से मोबाईल फोन पर मेरे से ली जा रही रिश्वत के बारे में बातचीत की थी। बातचीत के दौरान श्री याकुब मलकान चैयरमैन ने ईओ श्री अनिल को रिश्वत के रूपये देने की कही थी। उसके पश्चात मैने चैयरमैन की दुकान से बाहर आकर डीवीआर आपके कार्यालय के श्री कैलाश चन्द को दे दिया था। रात्रि का समय होने एंव मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से मैं उस दिन खण्डेला ही रूक गया था। आज श्री याकुब मलकान, चैयरमैन को रिश्वत में दिये जाने वाले 50,000 रूपये की व्यवस्था होने पर मैं आपके कार्यालय में उपस्थित आया हॅू। सदिंग्ध श्री याकुब मलकान, चैयरमैन द्वारा परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी से उसको पूर्व में जारी किये गये पटटे की एवज में 50,000 रूपये रिष्वत की मांग करने की पुष्टी होने पर कार्यालय सहायक अभियन्ता, सीएसडी-द्धितीय, अ.वि.वि. नि.लि. सीकर से दो स्वतंत्र गवाह श्री रामरतन शर्मा एंव श्री सुभाष जागिड़ , सहायक प्रशासनिक अधिकारी जरीये तहरीर तलब किये जाकर स्वतंत्र गवाहो का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी व एसीबी स्टाफ से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.01.2025 को आरोपी श्री याकुब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर से आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल वॅाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिॅकार्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॅाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री कैलाश चन्द कानि. 386 से कार्यालय के लेपटॅाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता को सुना जाकर वार्ता का फर्द रूपान्तरण एंव हिन्दी अनुवाद श्री कैलाश चन्द कानि. 386 से करवाया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेषी ने स्वंय की व आरोपी श्री याकुब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॅाप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॅापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॅाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॅाप की सहायता से श्री कैलाश चन्द कानि. 386 से FTK imager से सॅाफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॅाप से डिजीटल वॅाईसरिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "ए-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "ए-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लॅास्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपडे की थैली पर मार्क "ए-1" एवं "ए-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॅाईस रिकार्डर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। जप्तशुद्वा सीडी एंव मेमेारी कार्ड जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेषी को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हिदायत देने पर परिवादी ने आरोपी श्री याकुब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये पेश किये। जिनके नम्बर निम्नानुसार अंकित है- 1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3RU 320185, 2.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7RF 773248, 3.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8DP 066726, 4.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1TT 749791, 5.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2LT 958020, 6.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5TE 295797, 7. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5AV

611034, 8.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8AQ 605191, 9.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1HH 433501, 10.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3PF 713079, 11.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3MF 887645, 12.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3TC 028305, 13.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2GH 639205, 14.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8ER 485804, 15.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8AK 194282, 16.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6SR 474035, 17.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0FP 141304, 18.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5GK 963653, 19.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1HL 219551, 20.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2VF 148225, 21.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2VF 377756, 22.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4WF 343405, 23.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7BE 706813, 24.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6VG 232801, 25.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5ED 128702, 26.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3VQ 957272, 27. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9SM 292822, 28.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7FS 606971, 29.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4GQ 769912, 30.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6GV 207249, 31.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2KP 170939, 32.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0NV 425392, 33.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1TP 665209, 34.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7DM 096875, 35.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7NM 744048, 36.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8RW 885900, 37.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5MB 982017, 38.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3RS 169952, 39.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7VL 730068, 40.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8CQ 993173, 41.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3RT 865395, 42.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9CK 291535, 43. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0GT 041300, 44.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2LL 541428, 45.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1GR 796239, 46.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3CH 277752, 47.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5BP 398449, 48. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8BN 972248, 49.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7BT 759502, 50.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7BV 096885, 51.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8GS 655471, 52.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0DR 854358, 53.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3QB 819692, 54.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7AA 015511, 55.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9SR 828535, 56.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5GW 471564, 57.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1WM 027018, 58.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4RT 255148, 59.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्ब 1VQ 382735, 60.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0PU 673421, 61.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2WV 204285, 62.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0MV 651612, 63.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2CT 258553, 64.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5TG 458504, 65.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1DC 255989, 66.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1CU 834780, 67.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0DU 553482, 68.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3AN 016660, 69. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7FU 659067, 70.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3CE 353385, 71.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4FG 183339, 72.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7NK 648599, 73.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9RT 878297, 74.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7KW 019862, 75.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5EC 207932, 76.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2KQ 926582, 77.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1WP 071183, 78.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2BL 567193, 79.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6GP 781866, 80.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9FQ 869002, 81.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4MK 779523, 82.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6VH 629985, 83.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3FV 848047, 84.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4VM 439496, 85.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1AR 646146, 86.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0EH 006031, 87.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2HM 628933, 88.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6VQ 416149, 89.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1QM 742018, 90. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9SA 143857, 91.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7HP 642896, 92.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5TL 147163, 93.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0FQ 724394, 94.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0QA 382266, 95.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4GS 172000, 96.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4QS 935146, 97.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6KA 417767, 98.एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9HS 261275, 99.एक नोट पॉच सौ रूपये का

नम्बरी नम्बर 8HW 960515, 100. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4GC 461089 उपरोक्त समस्त नोटों पर श्रीमती निर्मला, मकानि. 307 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री रामरतन शर्मा से परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 50,000 रूपयों के नोट श्रीमती निर्मला, मकानि. 307 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेब में रखे पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर [redacted] मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर [redacted] पर मिस कॅाल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्रीमती निर्मला, मकानि. 307 जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाऊडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों फिनोपथलीन एंव सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्रीमती निर्मला, मकानि. 307 से कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवायी गयी। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 15 व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजीटल वॅाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री कैलाश चन्द कानि. 386 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई कि परिवादी के संदिग्ध को रिश्वत राशि देने हेतु जाने से पूर्व डीवीआर को चालु करके परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी को सुपुर्द करें। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.15 पीएम परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी के साथ श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 को परिवादी की गाडी से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री रामरतन शर्मा एवं श्री सुभाष जागिड एवं ब्यूरो स्टॅाफ के श्री सुभाष चन्द, एसआई, श्री मूलचन्द हैड कानि.123, श्री मनोज कुमार हैड कानि. 134, श्री महेश कुमार हैड कानि. 48, श्रीमती सुनिता हैड मकानि. 43, श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568, श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक,, श्रीमती रेखा मकानि. 311, श्री सुरेश चन्द कानि. चालक नं. 60 मय सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर खण्डेला कस्बे से पहले मुख्य सड़क पर पहूंचा, जहां वाहनों को साईड़ में लगाकर परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी से वार्ता की तो परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी ने अपने स्तर पर मालूमात कर संदिग्ध आरोपी श्री याकुब मलकान का उसके मलकान टेन्ट हाउस पर होना बताते हुये रिश्वती राशि मलकान टेन्ट हाउस पर ही चलकर देना बताया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के समय 5.20 पीएम पर मलकान टेन्ट हाउस की तरफ रवाना होकर आरोपी श्री याकुब मलकान के मलकान टेन्ट हाउस के पास पहूंचा, जहां श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से डीवीआर चालु करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि. कैलाश 386 को मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के मलकान टेन्ट हाउस के पास वाहनों में ही मुकिम रहा। समय 05.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी अलीमुदीन कुरेशी ने मलकान टैन्ट हाउस की दुकान के बाहर से अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये परिवादी के पास पहूंचा, जहां पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डीवीआर सुपुर्द किया, जिसे बन्द करके मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद परिवादी ने मलखान टैन्ट हाउस की दुकान के बाहर कुर्सी पर पेन्ट शर्ट एंव जैकेट पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही याकुब मलकान, चैयरमैन है जिन्होने अभी-अभी मेरे से मुझे पूर्व में जारी किये गये पट्टे की एवज में 50,000 रूपये अपने हाथों से लेकर अपनी पहनी हुई जैकेट की बायीं साईड की अन्दर की जेब में रखे है।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे अपना नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर होना बताया। आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछने पर बताया कि " श्री अलीमुदीन कुरेशी ने नगरपालिका से अपना पट्टा बनवाने के लिए मुझसे 50,000 रूपये उधार लिये थे। जो अभी श्री अलीमुदीन कुरेशी द्वारा मुझे लौटाने पर मैंने अपनी जाकीट की अन्दर की बांई जेब में रख लिये"। उधार दिये गये रूपयों की कोई लिखा पढी बाबत पूछने पर आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान ने कोई

लिखा पढी नहीं होना बताया, इस पर आरोपी मौहम्मद याकुब मलकान से किसी व्यक्ति विशेष के सामने, कब व किस स्थान पर उधार देने बाबत पूछने पर आरोपी मौहम्मद याकुब मलकान ने किसी व्यक्ति का नाम व स्थान नहीं बताया। मौके पर भीड़-भाड़ होने एंव संकरी सड़क होने के कारण आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन का दाहिना हाथ श्री मनोज हैड कानि. से एंव बाया हाथ श्री महेश कुमार हैड कानि. से कलाईयों के उपर से पकड़वाकर सरकारी गाडी में बैठाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के सुरक्षा की दृष्टी से सरकारी एवं प्राईवेट वाहनो के मौके से रवाना होकर समय 05.45 पीएम पर पुलिस थाना खण्डेला के स्वागत कक्ष में पहॅुच अग्रिम कार्यवाही शुरू की। स्वंतत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन को तसल्ली देकर पुनः परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी से रिश्वत लेने के सम्बन्ध में पुछने पर आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन ने पूर्व में बतायी गई बातो को ही दोहराया। जिस पर परिवादी ने आरोपी के कथनो को खण्डन करते हुये कहां कि "चैयरमैन याकुब मलकान जी झुठ बोल रहे है, मैंने इनसे कभी कोई उधार राशि नही ली थी। मेरा इनसे कभी भी कोई रूपयों का उधार का लेनदेन नहीं रहा है, दिनांक 13.01.2025 को मैं जब इनसे मिला तो इन्होने मेरे से मुझे पूर्व में जारी किये गये पट्टे की एवज में 50,000 रूपये रिश्वत राशि के मांगे थे। आज मैं इनके पास इनके टेन्ट हाउस की दूकान के बाहर आया और इनको 50,000 रूपयों में से कम करने की कही तो इन्होने कम करने से मना कर दिया, तब मैने इनको पाउडर लगे 50,000 रूपये दे दिये, इन्हाने रूपयों को अपने हाथो में लेकर अपनी पहनी हुई जेकेट के अन्दर की बांयी साईड की जेब में रख लिये। उसके बाद मैने आपको ईशारा कर दिया।" तत्पश्चात श्री मूलचन्द एचसी के दोनो हाथो एवं दो प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासो में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन के बांये हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क RH-1 एंव RH-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क LH-1 व LH-2 से सीलड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि पेश करने की कही तो आरोपी ने अपनी पहनी हुई जेकेट के अन्दर की बांयी जेब से पॉच-पॉच सौ रूपये के नोटो की गडी निकालकर पेश की। उक्त नोटो को गवाह श्री रामरतन शर्मा से गिनवाये गये तो 100 नोट कुल 50,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर 50,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन की पहनी हुई जेकेट को ससम्मान उतरवायी गयी। तत्पश्चात श्री मूलचन्द एचसी के दोनों हाथों एवं एक नये प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन की पहनी हुई जेकेट की अन्दर की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क J-1 एंव J-2 अंकित किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन की जेकेट बरंग काली के अन्दर की बांयी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जेकेट को एक सफेद कपडे़ की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क J अंकित किया गया। आरोपी श्री मोहम्मद याकूब मलकान, चैयरमैन को परिवादी को पूर्व में जारी शुदा पट्टा नं. 08 दिनांक 07.01.2025 की परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई फोटो प्रति दिखाकर पुछा तो आरोपी ने बताया कि " उक्त पट्टा ही श्री अलीमुदीन कुरेशी के बच्चो के नाम नगरपालिका द्वारा जारी किया गया था। इस पर अध्यक्ष नगरपालिका खण्डेला के उपर किये गये हस्ताक्षर मेरे है।" दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 J-1, J-2 आरोपी चैयरमैन की पहनी हुई पेन्ट के सील्ड पेकेट मार्क J एवं सफेद कागज पर सील्ड रिश्वती राशि पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही के दौरान श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से उसके मोबाईल फोन में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई, जिसकी फर्द पृथक से तैयार की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 08.40 पीएम पर परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेषी द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 16.01.2025 को आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर से आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकाॅर्ड किया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री कैलाश चन्द कानि. 386 से कार्यालय के लेपटाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता को सुना जाकर वार्ता का फर्द रूपान्तरण

एंव हिन्दी अनुवाद श्री कैलाश चन्द कानि. 386 से करवाया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेषी ने स्वंय की व आरोपी श्री मोहम्मद याकुब मलकान, चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटाप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। लेनदेन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड Sandisk 32GB एवं दो सीडीयों की लेपटाप की सहायता से श्री कैलाश चन्द कानि. 386 से FTK Imager से साफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटाप से डिजीटल वाईस रिकार्डर हटाकर उसमें से रिश्वत लेनदेन वार्ता का मेमोरी कार्ड Sandisk 32GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "बी-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लास्टीक के कवर में डालकर पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "बी-1" एवं "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एंव स्वतंत्र गवाहान के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर घटना स्थल पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होने पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी के स्पष्टीकरण एवं रिश्वत राशि बरामदगी की जेकेट की धुलाई की विडीयो ग्राफी श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 से उसके मोबाईल में मेमोरी कार्ड Sandisk 32GB डालकर करवाई गयी थी। उक्त विडीयो ग्राफी की रिकार्डिग की श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 से एक मेमोरी कार्ड में अलग से बर्न/कापी कर मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क 'सी" अकिंत कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एंव दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री अलीमुदीन को रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान मय जप्त शुदा वजह सबुत के पुलिस थाना खण्डेला से रवाना होकर एसीबी चैकी सीकर पहुँच प्रकरण से संबंधित वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। रिश्वत मांग एंव लेनदेन वार्ताओ में आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान, चैयरमेन द्वारा पूर्व ईओ श्री अनिल को रिश्वत देने की बात कही है। इस सम्बन्ध में श्री अनिल पूर्व ईओ नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर की भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान पुत्र श्री खाजूखां, जाति कायमखानी, उम्र-60 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 23, खण्डेला जिला सीकर हाल चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री अलीमुदीन कुरेशी को नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर द्वारा पूर्व में दिनांक 07.01.2025 को जारी आवासीय पट्टे की एवज में दिनांक 13.01.2025 को परिवादी से 50000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 16.01.2025 को परिवादी से 50,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान पुत्र श्री खाजूखां, जाति कायमखानी, उम्र-60 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 23, खण्डेला जिला सीकर हाल चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुभाष मील) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर ....कार्यवाही पुलिस........ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मौहम्मद याकुब मलकान पुत्र श्री खाजूखां, जाति कायमखानी, उम्र-60 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 23, खण्डेला जिला सीकर हाल चैयरमैन, नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 279 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 43-46 दिनांक 17.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर, 2. आयुक्त स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)